तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स
23/11/17	वकील वादीगण उपस्थित। कोई हाजिर नहीं। वकील वादी पत्रावली वास्ते ... दिनांक 21/12/17 को पेश हो। Sd/-
21/12/17	वकील वादीगण उपस्थित। दावा वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल किया जावेगा। पत्रावली वास्ते बनवाने स्कीम तलब होकर पत्रावली दि० 15/3/18 को पेश हो। Sd/-
15/3/18	वकील वादीगण उपस्थित। पूर्व हुक्म। वास्ते बनवाने स्कीम तलब होकर पत्रावली दिनांक 26/4/18 को पेश हो। Sd/-
12/6/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान:- प्रशासन गांवों के संग-2018 कैम्प ग्राम पंचायत ... में पेश हुई। तहसीलदार/ उपखण्ड अधिकारी से बनवाया स्कीम तलब हुई। अवलोकन किया गया। दावा वादीगण मुताबिक बनवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल किया गया। फैसला सुनाया होकर पत्रावली नम्बर से कम हो। Sd/-

Uwt 1426 / 30/4/1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
58/15	दावा	09.09.15	12.06.18

1. सोमोती पत्नि स्व0 हजारी
2. बबलू उर्फ रामप्रसाद पुत्र हजारी जातिगण माली निवासी नारौली तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. झम्मल । पि0 ग्यारसा जातिगण माली निवासी नारौली डांग तह0 सपोटरा
2. गिर्राज । जिला करौली राजस्थान।
3. रामसहाय ।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प ग्राम पंचायत नारोली मे पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में वाद तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नारोली तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा बाबत् किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई प्राथमिक निर्णय दिनांक 21.12.2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांकः रालोअ/2018/164 दिनांक 12.06.2018 द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। वादीगण भी मुताविक बंटवारा स्कीम दावा वादीगण फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः दावा वादीगण मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर ग्राम नारौली तहसील सपोटरा की विवादित आराजीयात का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. वादीगण सोमोती पत्नि स्व0 हजारी, बवलू उर्फ रामप्रसाद पुत्र हजारी जाति माली निवासी नारोली डाग के हिस्से मे ख0नं0 382/3 रकबा 03 विस्वा, खसरा नं0 616/2 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 667/1 रकबा 11 विस्वा, खसरा नं0 751/1 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 753 रकवा 04 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकवा 01 बीघा 03 विस्वा रहेगा।
2. प्रतिवादी झम्मल, रामसहाय, गिर्राज पि0 ग्यारसा जाति माली निवासी नारौली डांग के हिस्से मे खसरा नं0 382 रकबा 03 विस्वा, ख0नं0 667 रकबा 04 विस्वा, खसरा नं0 668 रकबा 10 विस्वा, खसरा नं0 751 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नं0 382/1 रकबा 03 विस्वा, खसरा नं0 616/1 रकबा 13 विस्वा, खसरा नं0 753/1 रकबा 06 विस्वा, खसरा नं0 382/2 रकबा 03 विस्वा, खसरा नं0 616 रकबा 14 विस्वा, खसरा नं0 753/2 रकवा 06 बिस्वा कुल किता 10 का कुल रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

पीठसीन अधिकारी(एसडीएम)
राजस्व लोक अदालत"न्याय आपके द्वार"
सपोटरा जिला करौली (राज0)

Scanned by CamScanner